राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए एवं उनकी जन्म भूमि एवं परिनिर्वाण भूमि, बजार मुहल्ला ग्राम बेलाताल पोस्ट कुलपहाड़ जिला महोबा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए ।

5- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां के उत्थान के लिए पृथक से योजना चलाई जाए उस योजना का नाम गोकुलदास विकास योजना रखा जाए एवं बसोर समाज भारत के 15 राज्यों में घोषित है, लेकिन 50 वर्ष पूर्व बसोर समाज सम्पूर्ण भारत के समस्त राज्यों में निवासरत है, इसलिये भारत के समस्त राज्यों में अनुसूचित जाति की सूची में नाम सम्मिलित किया जाए ।

6- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां की जनसंख्या आंकलन के लिए जनगणना विभाग एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को आदेश जारी किए जाऐं ।

7- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां को छुआछूत से मुक्त करने के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 की धारा -17 (2) में संशोधन एवं अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के संगठन मे से राष्ट्रीय स्तर पर/राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय सतकर्ता एवं मानीटरिंग समिति में सदस्य रखने हेतु प्रावधान किया जाए।

8- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां को राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में बसोर समाज के किसानो को जो भूमि मिली है या उनके पूर्वजो की है उनको कबजा दिलाने हेतु भारत सरकार के अधिनस्थ समस्त राजयों के जिला कलेक्टरों/पुलिस अधिक्षकों को विशेष निर्देश जारी किए जाए।

9- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां की महिलाएं भारत देश के ग्रामीण क्षेत्रों मे दाई का कार्य करती है उनको जिलाध्यक्ष द्वारा निर्धारित दैनिक वेतन दिया जाएं या स्वास्थ्य विभाग में उनको नौकरी प्रदान की जाए।

10- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां का समाज केन्द्र बनाने हेतु भारत की राजधानी दिल्ली शहर में 100X100 की श ासकीय भूमि निशुल्क प्रदान की जाए एवं समाज केन्द्र का निर्माण राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन विभाग के माध्यम से निर्माण कराया जाए।

11- बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां के सरंक्षण के लिए नेतृत्व करने वाली सामाजिक संस्था अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति को मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय से मान्यता प्रदान की जाए।

अतः आपसे संगठन एवं समाज का विशेष अनुरोध है कि बसोर जाति एवं ऊपर उल्लेखित उसकी उपजातियां आर्थिक स्थिति एवं शेक्षणिक स्थिति एवं रोजगार